अपील सूचना अधिकार संख्या 102/2019 (RCMS 2019/00265) डॉ. राजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री फतेह सिंह भाटी निवासी भवानी निकेत, पूर्वा गेस्ट हाउस के पास, सरदारशहर, जिला चुरू (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

31.12.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी डॉ. राजेन्द्र सिंह भाटी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से अविलम्ब सूचनाएं दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी डॉ. राजेन्द्र सिंह भाटी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.09.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर में एस्सार का रिटेल आउटलेट जो कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होना प्रस्तावित है, उसके अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति तथा आवेदन पत्रावली की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)।
2. यदि पेट्रोलियम अधिनियम 2002 की धारा 144 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, उसकी प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)।
3. भूमि संपरिवर्तन आदेश की प्रमाणित प्रतियां मय अखबार में अनापत्ति का प्रकाशन तथा प्रारम्भिक आपत्तियां जो प्राप्त हुई, उनकी प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. उक्त भूमि संपरिवर्तन में व अनापत्ति प्रमाण पत्र में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के किन किन निर्णयों की अक्षरक्षः पालना की गयी, का सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)।
5. पेट्रोलियम अधिनियम 2002 की धारा 130 के तहत पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से कब–कब सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)।
6. मेरे द्वारा प्रेषित पत्रों पर आज दिनांक तक संस्थित की गयी कार्यवाही मय संधारित नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर अपने पत्रांक एफ41(5)( ) राजस्व/2019/5808 दिनांक 23.12.2019 से निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि श्री राजेन्द्र सिंह भाटी, मां बाला सती लॉ एसोसियेटस, रावत शॉपिंग मॉल, बाल मन्दिर स्कूल के पास, दूगड विद्यालय रोड, मुख्य बांजार, सरदारशहर, चुरू राजस्थान द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाहे जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक 4735 दिनांक 25.10.2019(छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रार्थी को सूचित किया गया है कि उसके द्वारा आवेदन पत्र में आपने चाही गई सूचना से संबधित पत्रावली का नम्बर/संख्या, अनवान व पूर्ण विवरण अंकित नही

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

किया है। जिसके अभाव में आपको सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकती। वह किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर, कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन कर चाही गई सूचना से संबधित पत्रावली नम्बर/संख्या मय पूर्ण विवरण से इस कार्यालय को अवगत करावें ताकि तद्नेसार आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में संबंधित पत्रावली का नम्बर/संख्या, अनवान व पूर्ण विवरण आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया जाने पर वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित पत्रावली का नम्बर/संख्या, अनवान् व पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाये जाने पर ही वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का श्रम करावें।

लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को अपने पत्रांक एफ41(5)( ) राजस्व/2019/4736 दिनांक 25.10.2019 से निम्न जवाब दिया है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 6 अनुसार सूचना की दो–दो प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया है। आवेदन पत्र में आपने चाही गई सूचना से संबंधित पत्रावली का नम्बर/संख्या, अनवान् व पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया है। जिसके अभाव में आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः आपको लिखा जाता है कि आप किसी भी कार्य दिवस में कार्यलय समय में उपस्थित होकर, कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर चाही गई सूचना से संबंधित पत्रावली नम्बर/संख्या मय पूर्ण विवरण से इस कार्यालय को अवगत करावें ताकि तद्नुसार आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जवाब दिया जा चुका है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए, प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि चाही गई सूचनाओं से सम्बन्धित पत्रावली का विवरण उपलब्ध करवा दे तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के नियमानुसार सूचनाएं उपलब्ध करवा दी जाए।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर